



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18986 वर्ष 2026

अविनाश कुमार और अन्य

.....आवेदक गण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी दल

आवेदकों के अधिवक्ता : प्रिया दुबे, रवि झा, शारदेय मिश्रा

विपक्षी गणों के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री शारदेय मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना जमानिया, जिला गाजीपुर के केस क्राइम संख्या 115 वर्ष 2026, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/21/29 के अंतर्गत मुकदमे के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदकों को प्रत्येक से 260 ग्राम 'हेरोइन' (प्रतिबंधित पदार्थ) की कथित बरामदगी के आधार पर फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि बरामद हेरोइन का वजन बैग के साथ लिया गया था, जबकि हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम है, इसलिए बरामद हेरोइन का वजन 250 ग्राम से कम है, जिसे आवेदकों ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा था। यह भी कहा गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकों के कब्जे से उक्त (प्रतिबंधित पदार्थ) बरामद करते समय एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रक्रिया का



पालन नहीं किया गया है। आवेदक 28.04.2026 से जेल में हैं। यदि आवेदकों को जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अधिक भीड़ तथा निचली अदालतों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को देखते हुए, साथ ही कपिल वाधवन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पाने के हकदार हैं। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक अविनाश कुमार और राजू कुमार रावत, जो उपरोक्त अपराध में शामिल हैं, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती (कम से कम एक स्थानीय सदस्य) और व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक मुकदमे/जांच में बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होंगे।

iv. आवेदक उनके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेंगे।



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाना चाहिए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत आवेदकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोम्स) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत अनुदान के लिए नीति रणनीति मामले, 31.01.2023 को तय सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, जिसे (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदकों को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

1 जून, 2026